संख्या-53/2017/2433 ई-2/तेरह-2017-78/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 16 अक्टूबर,2017

विषय:-होटल पी0एल0 पैलेस, लाईस इन यूनिट ऑफ मै0 सिटी इन प्रा0लि0, संजय प्लेस, आगरा को एफ0एल0-6ए(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-283/आब0सहा0/2016-17, दिनांक 14 सितम्बर,2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 14 सितम्बर,2017 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-228/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/ एफ0एल0-6,7//बार अनु0/आगरा, दिनांक 25 सितम्बर,2017 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल पी0एल0 पैलेस, लाईस इन यूनिट ऑफ मेसर्स सिटी इन प्रा0लि0, संजय प्लेस, आगरा को वर्ष 2017-18 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने पर राज्य सरकार की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि अनुज्ञापी द्वारा एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमावलियों में विहित शर्तो एवं व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-53/2017-2433(1) ई-2/तेरह-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-जी-228/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/ एफ0एल0-6,7//बार अनु0/आगरा, दिनांक 25 सितम्बर,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।